



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-06.08.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लोहता में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 10,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-358/2018 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त असरफ अली पुत्र मोहम्मद हनीफ़ निवासी कोटवां डिहवां थाना लोहता जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लोहता व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-06.08.2024 को माननीय न्यायालय ASJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त असरफ अली उपरोक्त को अंतर्गत धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में 01 वर्ष के कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।